परामर्श

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) से प्रत्यायन प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को परामर्श देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002
वेबसाइट : www.ugc.ac.in

सत्यमेव जयते
Goverment of Indla

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
जुलाई 2019

प्रकाशक
सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002

डिज़ाइन एवं मुद्रण – चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर, दिल्ली–110092. फोनः +91 98105 19841.

प्राक्कथन

हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अगली पीढ़ी को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अगली सदी के लिए भारत के विकास प्रक्षेप पथ के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने "गुणवत्ता अधिदेश" में निहित गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ उत्कृष्टता के अनुसरण में स्वयं को समर्पित किया है। यूजीसी ने पर्याप्त विचार–विमर्श और परामर्श के बाद, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्धारित उद्देश्यों को अनुमोदित किया है।

इस उद्देश्य को पूरा करने के प्रयास में यूजीसी ने **"परामर्श"** की योजना विकसित की है जो गैर–प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों को 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन हेतु एक नई पहल है। इस योजना का आशय अच्छा निष्पादन कर रहे प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों द्वारा नैक आकांक्षी संस्थानों को उनके शैक्षिक निष्पादन को उन्नत करने और प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए परामर्श देना है। अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई परामर्शदाता–परामर्श प्राप्तकर्ता संबध योजना से न केवल दोनों संस्थानों को लाभ होगा, अपितु उन 3.6 करोड़ छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जो वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली में नामांकित हैं।

हर्ष और गर्व के साथ **"परामर्श"** योजना प्रस्तुत है – जो नैक प्रत्यायन हेतु आकांक्षी संस्थानों को उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए परामर्श देने हेतु एक दिशानिर्देश है। मैं उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थानों का भी आह्वान करता हूँ कि वे आकांक्षी संस्थानों को परामर्श देने के लिए आगे आयें। मैं इस अवसर पर प्रो. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष; प्रो. रजनीश जैन, सचिव; डॉ. मंजू सिंह, संयुक्त सचिव और बाह्य विशेषज्ञों को दिशानिर्देश तैयार करने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मुझे आशा है कि यह योजना हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आइए हम सभी **"परामर्श"** को अत्यधिक सफल बनाने का संकल्प लें।

(प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह)
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली।

11 जुलाई, 2019

परामर्श

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन् को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) से प्रत्यायन प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को परामर्श देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना संबंधी

दिशानिर्देश

पृष्ठभूमि

आयोग ने दिनांक 24 मई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों (एच.ई.आई.) में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुछ उद्देश्यों को अनुमोदित किया है। आशा की जाती है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान (एच.ई.आई.) इन उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे, जिनमें से एक इस प्रकार हैं:

प्रत्येक संस्थान वर्ष 2022 तक कम से कम 2.5 प्राप्तांको के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) से प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर–प्रत्यायित संस्थानों को परामर्श देने के लिए एक नई पहल आरंभ की है, ताकि वर्ष 2022 तक प्रत्येक संस्थान को प्रत्यायन प्राप्त हो सके। उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए, एक योजना तैयार की गई है, जिसमें बेहतर कार्य–निष्पादन करने वाले प्रत्यायित संस्थानों द्वारा उच्च शिक्षा के संबंध में परामर्श देने की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें उनके शैक्षिक कार्य–निष्पादन का उन्नयन करके, उन्हें प्रत्यायन प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके।

परामर्श प्रदान करने से निम्नलिखित सुविधा होगी–

- उचित प्रक्रिया, प्रलेखन और प्रस्तुतीकरण के संबंध में संकाय–सदस्यों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
- ज्ञान, सूचना और संसाधनों का आदान–प्रदान करना।
- शोध में सहयोग तथा संकाय विकास संबंधी अवसर प्रदान करना।
- संस्थानों को सर्वोत्तम परिपाटियां अपनाने हेतु मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना।

परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान को होने वाले लाभ

1. परामर्श प्राप्त करने वाले संस्थान की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
2. शोध, शिक्षण तथा अधिगम प्रविधि की उन्नत गुणवत्ता के परिणामतः संस्थान के प्रोफाइल में सुधार होता है।
3. शैक्षिक क्षेत्र के व्यावसायिक विकास में सहयोग प्राप्त होता है।
4. सर्वोत्तम परिपाटियों की जानकारी तथा त्वरित अंगीकरण में वृद्धि होती है।
5. एन.आई.आर.एफ. के क्रमांकन और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) के प्रत्यायन में लाभकारी अंक प्राप्त होते हैं।

परामर्शदाता संस्थान को होने वाले लाभ

1. अनुभव से अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त होता है।
2. अलग–अलग वातावरण में कार्य करने की बौद्धिक चुनौतियां होती हैं।
3. सहयोग बढ़ाने के अवसर प्राप्त होते हैं।
4. अन्य संस्थानों को सहयोग देने और उन्हें सफल होते देखने पर संतोष होता है।

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थानों की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है, ताकि परामर्श प्राप्त करने वाले संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि हो सके और उन्हें प्रत्यायन के योग्य बनाया जा सके। इस योजना को ऐसे 'पहिए की धुरी और तीली मॉडल' (एच. एंड एस.) के माध्यम से प्रचालित किया जाएगा, जिसमें परामर्शदाता संस्थान, जिसे 'पहिए की धुरी' कहा गया है, केन्द्रीयकृत होता है और उसका उत्तरदायित्व गौण शाखाओं, जिसे 'पहिए की तीली' कहा गया है और जो परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान को स्व–सुधार करने हेतु अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करता है, के माध्यम से परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान को मार्गदर्शन प्रदान करना है। इससे प्रचालनात्मक दक्षता और संसाधनों के उपयोग पर केन्द्रीयकृत नियंत्रण रखा जाता है, ताकि परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान का समग्र विकास किया जा सके।

'पहिए (हब)' की परिकल्पना बहु संसाधनों वाले विशेषज्ञों के पूल के रूप में की जा सकती है। इसमें उद्योग जगत से बाह्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा सकता है और उनका संसाधन के पूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वे आधारभूत मूल्यांकन कर सकते हैं तथा परामर्श हेतु स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर सकते हैं।

पात्रता

परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान तथा परामर्शदाता संस्थान, सरकारी/ सहायता प्राप्त/ निजी/ स्ववित्तपोषित संस्थान हो सकते हैं। परामर्शदाता संस्थान ऐसे संस्थान होने चाहिए, जिन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) ने 'ए' ग्रेड के साथ प्रत्यायन प्रदान किया हो और जिनके समग्र अंक 3.26 और उससे अधिक रहे हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) और 12 B के अधीन मान्यता प्राप्त ऐसा कोई भी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस प्रयोजन के लिए अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा। चूंकि इन अनुदानों का उपयोग संस्थान को परामर्श देने के लिए किया जाएगा न कि बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए, अतः निजी संस्थान उस स्थिति में वित्तपोषण भी प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे विद्यार्थी और अध्यापक केंद्रित योजनाओं के लिए ऐसा करते हों।

अवधि

परियोजना की अवधि एक वर्ष होगी, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं

- परामर्शदाता संस्थान कम से कम पांच परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थानों की पहचान करेगा और इस योजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इन संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

- परामर्शदाता संस्थान अलग–अलग परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थानों के प्रत्यायन के लिए मूल्यांकन के मापदंड में सुधार करने के संभावित क्षेत्र यथा–शैक्षिक पहलुओं, शिक्षण अधिगम एवं आकलन, शोध, नवप्रवर्तन एवं विस्तार और ध्यान दिए जाने वाले संस्थागत मूल्य एवं सर्वोत्तम परिपाटियों आदि की पहचान कर विभिन्न चरणों में आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में भी मार्गदर्शन करेगा।

- परामर्श प्रदान करने का कार्य परामर्शदाता संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.) के माध्यम से किया जाएगा, जिस पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।

- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.) एक स्थायी समिति का गठन करेगा, जिसमें विविध स्रोतों से विशेषज्ञता का पूल बनाया जा सकता है।

- यह समिति एक 'प्रत्यायन एंबेस्डर' (ए.ए.) की अध्यक्षता में कार्य करेगी जिसे 'मेधावी अध्येतावृत्ति' की भांति अध्येतावृत्ति प्रदान की जा सकती है। प्रत्यायन एंबेस्डर ऐसा प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना चाहिए, जिसे प्रत्यायन प्रक्रिया की गहन जानकारी हो।

- विशेषज्ञ/ विद्वान व्यक्ति को न केवल परामर्शदाता संस्थान में कार्यरत पूर्णकालिक संकाय–सदस्य से बल्कि अन्य संस्थानों/सेवानिवृत्त व्यक्तियों से औद्योगिक विशेषज्ञ व्यक्तियों को भी लिया जा सकता है।

- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.) से अपेक्षा की जाती है कि वह परामर्श देने के लिए ऐसे प्रतिभागी संस्थानों (परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थानों) की पहचान करे जिन्हें प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु योग्य बनाया जा सके।

- प्रतिभागी संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस परियोजना के समन्वयक के रूप में पूर्णकालिक संकाय सदस्य (प्रत्येक प्रतिभागी संस्थानों से एक–एक) नामित करें।

- प्रस्तावित प्रत्यायन संबंधी परामर्श देने और लक्ष्य तथा समयबद्धता का विस्तृत ढांचा तैयार किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं

- परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान से उसकी तैयारी के संबंध में सबसे पहले परामर्श किया जाएगा, ताकि अन्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से परामर्शी अध्येता और परामर्शदाता तथा परामर्श प्राप्तकर्ता के युग्म व्यवस्थित रूप से तैयार किए जा सकें।
- परामर्शदाता संस्थान, परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान की विद्यमान स्थिति का अध्ययन करेगा और सुस्थापित मुख्य संकेतकों के अनुसार कार्यक्रम तैयार करने के लिए आधारभूत मूल्यांकन करेगा।
- प्रगति पर निगरानी रखने हेतु स्पष्ट समयबद्धता और योजना लेख सहित एक कार्यान्वयन योजना तैयार की जानी चाहिए।
- कार्यान्वयन योजना के कार्य–निष्पादन में परामर्शदाता – परामर्श प्राप्तकर्ता की बैठकों, तैयार की जा रही कार्यनीतियों, लक्ष्यों का निर्धारण और प्राप्त किए जा सकने योग्य लक्ष्यों का उल्लेख जैसे विभिन्न कार्यकलापों को भी शामिल किया जा सकता है।
- प्रत्यायन की तैयारी के लिए संस्थान का मार्गदर्शन करने हेतु एक नियम–पुस्तक ''मैनुअल'' तैयार किया जाएगा।
- परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान, परामर्शदाता संस्थान की सहायता से संपूर्ण प्रत्यायन प्रक्रिया को समझेगा, ताकि उन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) की वास्तविक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा सके।

वित्तीय सहायता का स्वरूप

परामर्शदाता संस्थान को 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस वित्तीय सहायता को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

- प्रत्यायन एंबेस्डर की अध्येतावृत्ति 31,000/– रुपए प्रतिमाह की दर से।
- अतिथि व्याख्यान।
- कार्यशाला/ प्रशिक्षण आयोजित करना।
- यात्रा भत्ता– दैनिक भत्ता (विद्यमान नियमों के अनुसार)।
- मानदेय; परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थान से विशेषज्ञ/ विद्वान व्यक्ति परामर्शदाता/ प्रतिभागी/ संस्थानों के प्रतिनिधि/परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थानों के समन्वयकों को।
- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.) के निदेशक को मानदेय 8,000/– रुपए प्रतिमाह की दर से।
- परियोजना संबंधी कर्मचारियों को काम पर लगाने का व्यय।
- आकस्मिक–व्यय।
- कोई अन्य व्यय।

यदि किसी अन्य राज्य में स्थित परामर्शदाता संस्थान द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी संस्थान को परामर्श दिया जाता है तो यात्रा भत्ता (टी.ए.) शीर्ष के अधीन 2.00 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम प्रदान की जाएगी।

अनुदान जारी किया जाना

पहली किस्त के रूप में अनुदान की 50 प्रतिशत रकम जारी की जाएगी। शेष रकम उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) तथा अन्य संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत करना

परामर्श प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों के प्रस्ताव निर्धारित फॉर्मेट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन, विधिवत् गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुदान अनुमोदित करेगा।

निगरानी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित के आधार पर परामर्श देने के कार्य–निष्पादन संबंधी परिणामों पर विचार करेगाः

1) गैर–प्रत्यायित संस्थानों को प्रेरित करने के लिए उनके द्वारा आरंभ किए गए नव–प्रवर्तन संबंधी उपाय।
2) कार्य–निष्पादन के अपेक्षित स्तरों के अनुसार मुख्य संकेतकों के आधार पर परामर्शदाता संस्थानों के कार्य–निष्पादन का स्तर।
3) प्रत्यायित परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थानों की संख्या और उनके प्राप्तांक।

परामर्श प्राप्तकर्ता संस्थानों को प्रोत्साहन

चूंकि अच्छा कार्य–निष्पादन करने वाले संस्थान, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) से प्रत्यायन के इच्छुक अप्रत्यायित संस्थानों को परामर्श देकर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए उच्च सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अतः उन्हें उचित श्रेय मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा में योगदान देने के लिए उन्हें परामर्शदाताओं के रूप में एन.आई.आर.एफ. के क्रमांकन और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) के प्रत्यायन में उचित महत्व देकर पुरस्कृत किया जा सकता है। महाविद्यालयों को भी 'परामर्शदाता संस्थान' के रूप में सम्मान दिया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

www.ugc.ac.in